<u>न्यायालय – अपर सैशन न्यायाधीश संख्या–3, ब्यावर</u>

पीठासीन अधिकारी– विजय प्रकाश सोनी, आर.जे.एस.

फौजदारी अपील संख्या– 05/2025 (139/2023)

गजराज पुत्र तेजाराम कुम्हार, आयु 37 साल, निवासी हनुतिया वाया बिजयनगर, पुलिस थाना बिजयनगर, जिला अजमेर।

....अपीलार्थी/अप्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती गुलाबी पत्नी गजराज पुत्री सुवा कुम्हार, आयु 33 वर्ष, हाल निवासी ग्राम शिवपुरी, पुलिस थाना मसूदा, जिला अजमेर। **––प्रत्यर्थी/प्रार्थीया**
2. तेजाराम पुत्र लादूराम
3. श्रीमती भंवरी पत्नी तेजराम
4. सम्पतराज पुत्र तेजाराम
   (आदेशिका दिनांकित 18.03.25 के अनुसार विलोपित किया गया)
5. धनराज पुत्र तेजाराम
6. धन्वन्तरी पुत्री तेजराम

   समस्त निवासीगण ग्राम हनुतिया, पुलिस थाना बिजयनगर, जिला ब्यावर।

<u>....अप्रार्थीगण/प्ररफोरमा प्रतिवादीगण</u>

फौजदारी अपील अंतर्गत धारा 29 घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–02–2023, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट मसूदा के पीठासीन अधिकारी द्वारा फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 09/2021 श्रीमती गुलाबी बनाम गजराज व अन्य, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में अंतरिम भरण पोषण भत्ते बाबत आदेश पारित किया गया

<u>उपस्थित:–</u>

1. श्री सुनील कुमार शर्मा, श्री संजय नाहर, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री ललित कुमार खींची, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से।

नि र्ण य **दिनांक: 09–07–2026**

1. अपीलार्थी/अप्रार्थी गजराज ने हस्तगत अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थनपत्र, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मसूदा द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 08–02–2023 के विरूद्ध अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ब्यावर के समक्ष दिनांक 27–09–2023 को प्रस्तुत की, जो कालान्तर में अंतरित होकर विधिवत निस्तारण हेतु इस न्यायालय में दिनांक 22–05–2025 को प्राप्त हुई है।

2. आलौच्य आदेश दिनांकित 08–02–2023 के द्वारा उक्त विद्वान विचारण न्यायालय ने उनके यहां विचाराधीन फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 09/2021 श्रीमती गुलाबी बनाम गजराज व अन्य में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में प्रत्यर्थी/प्रार्थिया श्रीमती गुलाबी की ओर से अंतरिम भरण पोषण बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपीलार्थी के विरूद्ध स्वीकार कर मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक प्रार्थिया/प्रत्यर्थी श्रीमती गुलाबी को 3,000/–रूपये प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण के रूप में अदा करने एवं उक्त आदेश प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की दिनांक से प्रभावी होने का आदेश दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/अप्रार्थी ने हस्तगत अपील पेश की है।

3. अपीलार्थी/अप्रार्थी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी।

4. बहस अपील सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी अपील तथा लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08–02–2023 विधिक प्रावधानों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों व तथ्यों के विपरीत होकर विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी विकलांग व्यक्ति है एवं प्रार्थिया ने अपीलार्थी व उसके परिजनों के विरूद्ध झूठे आरोप लगाये है एवं गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट नहीं होने पर भी अंतरिम भरण

पोषण का आलौच्य आदेश पारित किया है। प्रार्थिया ने संपूर्ण पत्रावली में घरेलु हिंसा के संबंध में घटना की कोई दिनांक, वार, वर्ष अंकित नहीं किये है फिर भी विचारण न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश में प्रार्थिया को व्यथित मानते हुये अपीलार्थी के विरूद्ध विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। अपीलार्थी विकलांग व्यक्ति होकर उसकी मासिक आमदनी 3,500/–रूपये है तथा राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 750/–रूपये पेंशन मिलती है, इस प्रकार अपीलार्थी की आय कुल 4,250/–रूपये मासिक है जबकि प्रार्थिया को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 750/–रूपये तथा 500/–रूपये उसकी पुत्री सुश्री प्रीति को मिलते है जो वर्तमान में 1000/–1000/–रूपये प्रत्येक को मिल रहे हैं एवं अप्रार्थी को राशनकार्ड/आस्था कार्ड पर मिलने वाले 15 किलो गेहूं राज्य सरकार द्वारा व 15 किलो गेहूं केन्द्रीय सरकार द्वारा व समय समय पर अन्य खाद्य सामग्री मिलती है, वह भी प्रार्थिया द्वारा मार्च 2019 से प्रत्येक माह प्राप्त कर रही है। प्रार्थिया के पास 04 भैंसे, करीब 200 भेड व बकरियां होकर उनसे भी उसे करीब पांच लाख रूपये की प्रतिवर्ष आमदनी होती है, इस प्रकार प्रार्थिया के पास पर्याप्त आय के साधन होने एवं प्रार्थिया की आय अपीलार्थी से अधिक होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी भूल की है, जो निरस्त होने योग्य है। साथ ही यह तर्क दिया कि प्रार्थिया बिना युक्तियुक्त आधार के अपनी मर्जी से अपने पिता के साथ निवास कर अपीलार्थी की उपेक्षा कर रही है एवं प्रार्थिया अपना व अपनी पुत्री का भरण पोषण करने में सक्षम है। अन्त में अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 08–02–2023 को निरस्त करने का निवेदन किया।

6. उपरोक्त तथ्यों का विरोध करते हुए रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय ने विधि एवं तथ्यों पर अपना विस्तृत आदेश पारित किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाए।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी और पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की ओर से यह अपील विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 08.02.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी पति के विरूद्ध तथा रेस्पोडेंट पत्नी के पक्ष में अंतरिम भरण पोषण के रूप में 3,000/–रूपये प्रतिमाह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से भरण पोषण दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया था। इसके लिये सर्वप्रथम यह प्रथमदृष्टया स्पष्ट होना था कि अपीलार्थी व रेस्पोडेंट के मध्य पति–पत्नी का संबंध था? इस संबंध में किसी पक्ष द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया था। घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण से संबंधित कोई आदेश पारित करते समय यह भी देखना होता है कि प्रथमदृष्टया घरेलु हिंसा के कोई तथ्य व तत्व विद्यमान है या नहीं। इस संबंध में रेस्पोडेंट श्रीमती गुलाबी द्वारा अपने पति गजराज के विरूद्ध यह आक्षेप लगाया है कि उसने उसे यह कहना प्रारंभ कर दिया कि दहेज कम दिया है, पांच लाख रूपये अपने पिता से मांग कर लाने के लिये दबाव बनाया और इंकार करने पर नाराज होकर झगडा किया, उसके विरूद्ध व्यवहार क्रूर हो गया, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करने लग गया, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर तीन लाख रूपये पीड़िता/प्रार्थिया/रेस्पोडेंट के खाते से निकालने का भी अभियोग लगाया और मारपीट करने, तेजाब पिलाकर जान से मारने आदि ऐसे तथ्य बतायें है जो प्रथमदृष्टया अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंट के साथ घरेलु हिंसा की श्रेणी में आते है।

8. जहां तक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उन दस्तावेजात का प्रश्न है जो गवाहान के बयान है, उन बयानों की प्रतियों को अंतरिम आदेश पारित करते समय ध्यान में लेकर उनके आधार पर आदेश पारित करना उचित नहीं है क्योंकि बयानों के आधार पर अंतिम आदेश पारित किया जाना शेष है, अंतरिम आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख, शपथ पत्र, अभिकथन आदि पर किया गया है। इस अपील न्यायालय को यह देखना है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह तथ्य एवं विधि के विरूद्ध है

या नहीं। दोनों पक्षकार की स्थिति के संबंध में जो तथ्य न्यायालय के समक्ष आये है, उसमें अपीलार्थी गजराज का पैर से विकलांग होना बताया है, जबकि उसकी पत्नी प्रत्यर्थी का हाथ से विकलांग होना बताया गया है। स्वयं अपीलार्थी ने अपील में यह स्वीकार किया है कि 4,250/–रूपये प्रतिमाह उसकी आमदनी है। रेस्पोडेंट को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 7,50/–रूपये प्रतिमाह तथा उसकी पुत्री प्रीति को 500/–रूपये प्रतिमाह सरकारी पालनहार योजना के तहत मिल रहे है। स्वयं अपीलार्थी के इन कथनों से यह प्रथमदृष्टया स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 अपीलार्थी की पत्नी स्वयं कार्य करने में सक्षम नहीं है और इसी कारण उसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के रूप में 750/–रूपये प्रतिमाह पेंशन मिल रहे है। अपीलार्थी की पुत्री को 500/–रूपये प्रतिमाह पालनहार योजना में मिल रहे है। यह तथ्य भी दर्शाते हैं कि उसकी पुत्री को भरण पोषण की आवश्यकता है। स्वयं अपीलार्थी के इन कथनों से रेस्पोडेंट के कार्य करने में सक्षम होने और पर्याप्त आय का व्यक्ति होना प्रथमदृष्टया प्रमाणित नहीं होता है। अपीलार्थी की आय, उसके कार्य करने की क्षमता, उसका अपनी पत्नी व पुत्री के भरण पोषण का दायित्व, उसके रहने का स्तर और साथ ही रेस्पोडेंट उसकी पत्नी के भरण पोषण की आवश्यकता, उसकी पुत्री के प्रति अपीलार्थी के दायित्व, बीमारी में अचानक राशि की पड़ने वाली आवश्यकता, उभय पक्ष के रहने सहन, सामाजिक, आर्थिक स्तर सहित समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने 3,000/–रूपये भरण पोषण की राशि प्रार्थर्ना पत्र की दिनांक से अदा करने का जो आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो तथ्यों व परिस्थितियों के विपरीत नहीं होने से अपील स्वीकार करने व विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश खारिज करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

9. अतः अपीलार्थी गजराज की ओर से प्रस्तुत यह अपील विरूद्ध श्रीमती गुलाबी व अन्य अस्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक

मजिस्ट्रेट, मसूदा द्वारा फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 09/2021 श्रीमती गुलाबी बनाम गजराज व अन्य में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 08–02–2023 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भिजवाई जाए।

(विजय प्रकाश सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
संख्या–3 ब्यावर।

10. निर्णय व आदेश आज दिनांक 09–07–2026 को मेरे द्वारा विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विजय प्रकाश सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
संख्या–3 ब्यावर।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.23 17:09:32 IST